निगरानी / टीए/2733/ 2006/ जिला सीकर
सोहनलाल बनाम सोभागमल(मृतक) जरिये वारिसान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
24-06-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी। श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थीगण। श्री शशिकांत जोशी, अभिभाषक अप्रार्थी। **आदेश** 1 हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखंड अधिकारी, दांतारामगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–03–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2 निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 4 ता 7 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी, दांतारामगढ़ के समक्ष विरूद्ध अप्रार्थी 1 से 3 प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। दौराने वाद वादी ने एक प्रार्थना पत्र तर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसे उपखंड अधिकारी दांतारामगढ़ ने आदेश दिनांक 27–03–06 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3 उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। 4 विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान की ओर ध्यान नहीं दिया है कि वादी ने जो अपना मूल दावा प्रस्तुत किया वह राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रस्तुत किया एंव राजस्व रेकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है, किन्तु यह इन्द्राज गलत है जिसे वादी ने माना है तथा सम्पूर्ण आराजी का खातेदार वादी को घोषित किये जाने की प्रार्थना की। वादी ने केवल इतना ही संशोधन चाहा कि जहां वादी प्रतिवादी संयुक्त खातेदार दर्ज किया गया वहाँ विवादित आराजी अकेले वादी की मानी जावे तथा यह भी संशोधन चाहा कि प्रतिवादी कारोबार से बाहर बंगलादेश रहते है तथा उनकी खातेदारी अवैध दर्ज कर दी। इस कारण राजस्व रेकार्ड में	

उनकी खातेदारी के साथ अवैध शब्द जोडने की प्रार्थना की गयी । प्रार्थी ने यह कथन अपने प्रार्थना पत्र मे नहीं कहा कि उनको जहां राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया, उसको हटाया जावे बल्कि यह कहा कि जो प्रतिवादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया गया वह अवैध दर्ज कर दिया जावे किन्तु उपखण्ड अधिकारी ने यह मानकर कि ऐसे संशोधन से दावे की प्रकृति बदल जाती है, गलत है। मात्र यह मान लेने से कि संशोधन से वाद की प्रकृति बदल जाती है, प्रर्याप्त नही है। बल्कि इस फाइन्डिंग के लिए उपखण्ड अधिकारी को अपना कारण देना चाहिए जो नहीं दिया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल कारित कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी बिना समझे गलत खारिज किया है। उपखण्ड अधिकारी को निर्णय करते समय आदेश 7 नियम 7 जाप्ता दीवानी को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने 01.02.1999 के पूर्व प्रावधानों के आधार पर निर्णय कर दिया है जबकि संशोधित नियम में ली गयी भाषा को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र को निर्णित करना चाहिए था। ऐसा न कर विचारण न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार को काम में लेने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधता बरती है। अन्त में उन्होनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया है।

5 विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह गलत तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। वादी एक पढ़ा लिखा आदमी है, जिसने वकील से विचार विमर्श कर 1994 में दावा पेश किया था लेकिन अब उनके द्वारा चाहे गये संशोधन दावे के तथ्यों के विपरीत है। कानूनन कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष पूर्व में किये गये अभिकथनों से प्रतिबंधित है। अतः वादी अब यह कथन नहीं कर सकता कि विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई हिस्सा नहीं है। प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादी/प्रार्थी द्वारा चाहे गये किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे दावे की मूल प्रकृति ही बदल जाती है। अन्त में उन्होनें निगरानीधीन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया है।

6 विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27-03-06 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित करते हुये खारिज किया है कि प्रार्थना पत्र में वादी न्यायालय में दावे के समय सशपथ प्रस्तुत कथनों को ही अस्वीकार कर उसके स्थान पर नया अभिकथन प्रतिस्थापित करना चाहता है जिसकी अनुमति दिये जाने पर दावे की सम्पूर्ण विषय वस्तु, चाही गई सहायता, एवं प्रकृति ही बदल जायेगी जिससे प्रतिवादी पक्ष को मूलभूत क्षति होगी। इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने उक्त संशोधन को स्वीकार किया जाना उचित एवं तार्किक नहीं समझा।

8 विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सकारण व युक्तियुक्त है। निगरानी के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है जो कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी के दायरे में आती हो। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का जो आदेश पारित किया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 27-03-06 में ऐसी कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

9 परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)

सदस्य